सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।

शासनादेश संख्या–952/11–क.स.वि.–6– 99– 20 (एम)/124/97, दिनांक 03.11.1999 के द्वारा वर्तमान छविगृहों को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से छविगृहों में वातानुकूलन/वायुशीतन, जनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारे फर्नीचर बदलने एवं फाल्स सीलिंग बदलने वाले छविगृहों को उक्त मद में निवेश की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान निवेश की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत प्राप्त होने तक इस शर्त के साथ दिये जाने का प्राविधान किया गया है कि संबंधित छविगृह पूर्व वर्ष में एकत्रित मनोरंजन कर के बराबर राजस्व राजकीय कोषागार में जमा करने के पश्चात उसके ऊपर एकत्र की गयी मनोरंजन कर की धनराशि निवेश की 50 प्रतिशत सीमा तक अनुदान के रूप में अपने पास रख सकेगा ।